अंशुली आर्या, आई.ए.एस.
सचिव
ANSHULI ARYA, I.A.S.
Secretary

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

अ.शा.पत्र सं. 16/6/2025-रा.भा. (सेवा)

दिनांक: 27 अगस्त, 2025

प्रिय महोदया / महोदय

जैसा कि आपको अवगत होगा कि सभी मंत्रालयों और विभागों में केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग(CSOLS) के अधिकारी/कर्मचारी इस प्रयोजनार्थ नियुक्त किए जाते हैं कि वे राजभाषा नियमों का अनुपालन और शासकीय दस्तावेजों का अनुवाद कार्य सुचारु रूप से संपन्न करा सकें।

2. केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के अधिकारियों के अनुशासनिक मामलों के संदर्भ में राजभाषा विभाग के दिनांक 30.12.1983 के का.ज्ञा. सं. 16/43/83-रा.भा.(से.) में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि प्रशासनिक और अनुशासनिक मामलों के संबंध में कार्रवाई संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा संबद्ध कार्यालयों द्वारा ही की जाएगी।

3. तथापि, कतिपय मामले सामने आए हैं जब केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के अधिकारियों की सेवाएं राजभाषा विभाग को बिना कोई कारण बताए वापस लौटाई गई हैं। अनुरोध है कि यदि किसी परिस्थिति विशेष में किसी CSOLS अधिकारी/कर्मचारी की सेवाओं को सरेंडर (surrender) किया जाता है, तो सेवाएं सरेंडर किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि-

i. सरेंडर की प्रक्रिया के लिए नियमानुसार यथोचित कार्रवाई की गई है एवं पर्याप्त कारणों के साथ सरेंडर किया गया है।

ii. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध उपयुक्त आरोप पत्र (charge sheet) जारी किया गया है तथा नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई की गई है।

iii. राजभाषा विभाग को संबधित कार्मिक की सेवाएं सरेंडर करने की स्थिति में सरेंडर आदेश के साथ सभी संबंधित दस्तावेजों और स्पष्ट कारणों का संलग्न होना आवश्यक है।

iv. संबद्ध दस्तावेजों और पर्याप्त कारणों के बिना सेवाएं सरेंडर किए जाने पर राजभाषा विभाग द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।

4. अतः आपसे अनुरोध है कि तद्नुसार ही आवश्यक कार्रवाई की जाए।

शुभकामनाओं सहित

शुभेच्छु,

अ आर्या

(अंशुली आर्या)

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव

तृतीय तल, एन.डी.सी.सी.-II भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
फोन : (91) (11) 23438266, फैक्स : (91) (11) 23438267, ई-मेल : secy-ol@nic.in